

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना संख्या 50 /2025-26
नई दिल्ली, दिनांक: 24 फरवरी, 2026

विषय: वित्त वर्ष 2026-27 हेतु विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट-2क के अंतर्गत अधिसूचित विभिन्न एफटीए के लिए टीआरक्यू आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधन के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट-2 क के संदर्भ में, जिसमें सभी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) /अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए) अधिसूचित हैं।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशालय संबंधित एफटीए के तहत निम्नलिखित उत्पादों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टीआरक्यू आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28.02.2026 से 15.03.2026 तक बढ़ाती है।;

क) भारत-श्रीलंका एफटीए के अंतर्गत टीआरक्यू

क्रम संख्या	आइटीसी (एचएस) कोड	वस्तुओं का विवरण	आयात के लिए उपलब्ध कुल योग मात्रा
1.	1516,1517 या 1518 (15161000, 15171010, 15179030 और 15180040 के अतिरिक्त जो आयात के लिए प्रतिबंधित हैं)	वनस्पति, बेकरी शॉर्टनिंग और मार्जरीन	2,50,000 एमटी
2.	0904	काली मिर्च	2500एमटी
3.	08011100	सूखा नारियल	500एमटी

इन वस्तुओं के लिए आयात प्रक्रिया को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2-क के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित व्यवस्थाओं / प्रक्रिया के अधीन अनुमति दी जाएगी।

ख) भारत-मर्कोसुर व्यापार समझौते के अंतर्गत टीआरक्यू

क्रम संख्या	आइटीसी (एचएस) कोड	माल का विवरण	कुल योग मात्रा -
1.	1507 10 00	पैराग्वे से कच्चा सोया तेल	30,000 एमटी



उपरोक्त मद के लिए आयात प्रक्रिया को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2-क के अनुलग्नक- II में उल्लिखित व्यवस्थाओं / प्रक्रिया के अधीन अनुमति दी जाएगी

ग) भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत टीआरक्यू

क्रम संख्या	आईटीसी(एचएस) कोड	विवरण	प्रशुल्क दर कोटा मात्रा
	06031900	ताज़ा :-- अन्य	15 टन
	08043000	अनानास	1000 टन
	08109060	लीची	250 टन
	09051000	बनीला: न तो कुचला हुआ और न ही पिसा हुआ	15 टन
	09052000	बनीला : कुचला हुआ या पिसा हुआ	1 टन
	16041410	टुनस	सभी वस्तुओं के लिए कुल 7000 टन
	16041490	अन्य	
	16042000	अन्य तैयार या संरक्षित मछली	
	17011490	विशेष चीनी	15000 टन
	22030000	माल्ट से बनी बीयर।	2,000,000 लीटर
	22060000	फ्रूट वाइन: दूसरे फर्मेंटेड ड्रिंक्स (जैसे, साइडर, पेरी, मीड, सेक); फर्मेंटेड ड्रिंक्स का मिक्सचर और फर्मेंटेड ड्रिंक्स तथा नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मिक्सचर, जो कहीं और बताया गया या शामिल नहीं है।	5000 लीटर
	22084011	2 लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनर में: ----रम	सभी वस्तुओं के लिए संयुक्त 1.50 मिलियन लीटर
	22084012	2 लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनर में: ----अन्य	
	22084091	अन्य: ---- रम	
	22084092	अन्य: ---- अन्य	
	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 6110; 6111; 6112 और 6203; 6304	परिधान और वस्त्रों की सहायक सामग्री।*	7.5 मिलियन पीस**

** कुल 7.5 मिलियन पीस के कोटे में से, सभी मदों के कुल मिलाकर कम से कम 5 मिलियन पीस, भारत से मंगाए गए धागे/कपड़े से बनाए जाने चाहिए।

इन वस्तुओं के लिए आयात प्रक्रिया को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2-क के अनुलग्नक- III में उल्लिखित व्यवस्थाओं / प्रक्रिया के अधीन अनुमति दी जाएगी।

घ) भारत-नेपाल संधि के अंतर्गत टीआरक्यू

विवरण	एचएस संख्या	टीआरक्यू
-------	-------------	----------



नेपाल से वनस्पति वसा (वनस्पति)	1516 20	1 लाख एमटी
नेपाल से एक्रिलिक यार्न	5509	10,000 एमटी
नेपाल से तांबे के उत्पाद	आइटीसी(एचएस) का अध्याय 74 और 8544	10,000 एमटी
नेपाल से जिंक ऑक्साइड	2817	2500 एमटी

उपरोक्त वस्तुओं के लिए आयात प्रक्रिया को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2-क के अनुलग्नक- VI में उल्लिखित व्यवस्थाओं / प्रक्रिया के अधीन अनुमति दी जाएगी।

ड.) भारत-यूई सीईपीए के तहत टीआरक्यू

मद विवरण	आइटीसी(एचएस) कोड	टीआरक्यू उपलब्ध
लीनियर लो-डेंसिटी पॉलीएथिलीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर इकाई कुल पॉलीमर कंटेंट के वजन के 95% या उससे ज़्यादा वजन की हो।	39011010	67,500 एमटी
कम घनत्व पॉलीएथिलीन (एलडीपीई)	39011020	
अन्य पॉलीएथिलीन जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.94 से कम हो	39011090	
पॉलीइथिलीन जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.94 या उससे ज़्यादा हो	39012000	2,22,000 एमटी
लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर इकाई कुल पॉलीमर कंटेंट के वजन के 95% से कम वजन की हो।	39014010	67,500 एमटी
अन्य एथिलीन-अल्फा-ओलेफिन कोपॉलिमर, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.94 से कम हो।	39014090	
प्राथमिक स्रोतों में एथिलीन के अन्य पॉलिमर	39019000	16,000 एमटी
पॉलीप्रोपाइलीन	39021000	1,00,000 एमटी
प्रोपाइलीन कॉपॉलिमर	39023000	70,000 एमटी
प्राथमिक रूपों में प्रोपाइलीन या अन्य ओलेफिन के अन्य पॉलिमर,	39029000	6,000 एमटी
इमल्शन ग्रेड पीवीसी रेज़िन/पीवीसी पेस्टरेसिन / पीवीसी डिस्पर्सन रेज़िन	39041010	60,000 एमटी
सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेज़िन	39041020	
अन्य पॉली (विनाइल क्लोराइड), किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं	39041090	
नॉन-प्लास्टिमाइज्ड पॉली (विनाइल क्लोराइड), दूसरे पदार्थों के साथ मिलाया गया	39042100	
पॉली (विनाइल व्युत्पन्न)	39043010	
अन्य विनाइल क्लोराइड-विनाइल एसीटेट कोपॉलिमर	39043090	



पॉली (विनाइल फ्लोराइड), इस अध्याय के नोट 6(ख) में उल्लिखित रूपों में से एक में।	39046910	
क्लोरीनेटेड पॉली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेज़िन	39049010	
कॉपर वैल्ड वायर, क्रॉससेक्शनल डायमेंशन > 6एमएम	74081110	1,25,000
रिफाइंड कॉपर का दूसरा तार, जिसका अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 6 एमएम से ज़्यादा हो	74081190	
कॉपर वैल्ड वायर, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन < 6 एमएम	74081910	400 मीटर
कॉपर का वैल्विंग वायर, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन < 6 एमएम	74081920	
रिफाइंड कॉपर का अन्य वायर, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन < 6 एमएम	74081990	

उपर्युक्त वस्तुओं के लिए आयात प्रक्रिया को एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट 2-क के अनुलग्नक- IV में उल्लिखित व्यवस्थाओं / प्रक्रिया के अधीन अनुमति दी जाएगी।

3. उपर्युक्त सूचीबद्ध उत्पादों के लिए टीआरक्यू आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.03.2026 है। एफटीपी, 2023 के परिशिष्ट-2क के तहत अधिसूचित अन्य सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपरोक्त एफटीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन को 15.03.2026 या उससे पहले जमा किए जाने चाहिए।



(लव अग्रवाल)

विदेश व्यापार महानिदेशक
एवं पदेन अपर सचिव भारत सरकार
ईमेल: dgft@nic.in

(फ़ाइल नंबर 01/89/180/95/एएम-25/पीसी-2(ए)/ई-45286 से जारी)